न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 222 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 14.07.2016

छगनलाल पिता देवा जाति गुरू गर्ग निवासी माताजी की पाण्डोली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
–अपीलांट/वादी

विरूद्ध

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़
3. नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 193/2015 रेवेन्यू वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2016

उपस्थित– 1. दौलत अली–अधिवक्ता अपीलान्ट
2. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. कैलाश चौखडा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3

निर्णय **दिनांक 19.12.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 1368/2 मीन रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा अपीलान्ट वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की रही है। जिसके नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 567, 568, 569, 570, 571 कुल किता 5 रकबा 2.76 हैक्टेयर कायम किये गये। अपीलान्ट वादी की नवीन आराजी नम्बर 567,568,569,570 के सम्बन्ध मे कोई विवाद नही है। क्योकि उक्त आराजीयात अपीलान्ट वादी काफी वर्षो पूर्व विक्रय कर चुका है। अपीलान्ट वादी ने केवल आराजी नम्बर 571 रकबा 0.64 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादी के निजी खातेदारी की है। भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी आदेश के उक्त कृषि आराजी से अपीलान्ट वादी का नाम हटाकर आराजी नम्बर 571 को बिलानाम सरकार अंकित कर दिया जिसका भू–प्रबन्ध अधिकारियो को कोई अधिकार नही था। अपीलान्ट वादी आज भी उक्त विवादित कृषि आराजी पर विगत 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। तथा प्रतिवर्ष लगान आदि जमा कराता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष मे मोजा पाण्डोली की काफी कृषि आराजीयात जो बिलानाम सरकार थी, आंवटित की जिसमे अपीलान्ट वादी की उक्त कृषि आराजी भी शामिल है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी का आंवटन आदेश क्रमांक 508 दिनांक 22.08.2014 के द्वारा अपीलान्ट वादी की कृषि भूमि को रेस्पोडेन्ट सं. 3 को आंवटित करने का आदेश विधिविरुद्ध होकर प्रभावहीन है। अपीलान्ट वादी की आराजी से सम्बन्धित होने से अपीलान्ट वादी के हितो पर विपरीत प्रभाव पडने के भय से अपीलान्ट वादी आराजी नम्बर 571 की सीमा तक उक्त आदेश अवैध घोषित कराने एवं उक्त कृषि भूमि को अपीलान्ट वादी के खातेदारी की घोषणा कराना आवश्यक है। भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रेकार्ड मे रद्दोबदल कर अपीलान्ट वादी की उक्त आराजी को बिलानाम दर्ज कर दिया जो दुर्भावना का प्रतीक है। अपीलान्ट वादी वर्तमान मे भी उक्त कृषि आराजी पर काबिज है तथा आंवटन आदेश जारी होने से पूर्व अपीलान्ट वादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी ने रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी को आवंटन आदेश जारी करने मे भूल की है। मौके की कोई रिपोर्ट नही ली गई। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने भी बिना जांच किये उक्त आदेश की पालना मे नामान्तकरण सं. 1621 स्वीकृत कर दिया जो अपीलान्ट वादी के अधिकारो के मुकाबले शून्य व अप्रभावी है। अपीलान्ट वादी के पास कृषि आराजी सं. 571 के अलावा अन्य कोई कृषि आराजी नही है। अपीलान्ट वादी को इस प्रकार उसकी खातेदारी की कृषि आराजी से बेदखल नही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 आये दिन अपीलान्ट वादी को उसके कब्जे काश्त की कृषि आराजी से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर आमादा होकर बेदखल करने की धमकियां दे रहा है जिससे रेस्पोडेन्टगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

उक्त आशय का वादपत्र अपीलान्ट वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये। जो दिनांक 24.05.2016 तक तामील होकर प्राप्त नही हुए। उक्त पत्रावली को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने बिना किसी सूचना के राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पाण्डोली मे दिनांक 24.05.2016 को नियत किया गया। जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुना जाना मानते हुए बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट वादीगण का वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलान्ट वादी की ओर से इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर अपील अपीलान्ट वादी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे नवीन आराजी नम्बर 571 के सम्बन्ध मे जो भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी अधिकार के भू-प्रबन्ध के दौरान बिलानाम दर्ज कर दी। उसके पश्चात् उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रतिवादी ने उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी को आवंटन आदेश क्रमांक न.वि.न्या.वि./भूमि/2014/508/ दिनांक 22.08.2014 से आंवटित कर दी गई। उक्त आदेश की पालना मे उक्त कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम दर्ज कर दी। जिसको दुरस्त करवाये जाने व उक्त आराजी अपने खातेदारी मे दर्ज कराये जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की तामील होना शेष थी। बिना सूचना दिये उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पाण्डोली मे नियत की जाकर बिना साक्ष्य सबुत बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को गुणावगुण पर निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। विवादित कृषि आराजीयात आराजी नम्बर 571 भू-प्रबन्ध से राजकीय भूमि दर्ज रेकार्ड रही है जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी के आदेश क्रमांक राजस्व/12-3/67/2014/1369 दिनांक 14.08.2014 से उक्त कृषि आराजी रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम नामान्तरण सं. 1621 दिनांक 24.10.2014 से दर्ज रेकार्ड हुई। जो वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट सं. 3 के आधिपत्य मे चली आ रही है। उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा का अपीलान्ट वादी ने वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए राजस्व लोक अदालत का गठन किया गया। राजस्व लोक अदालत मे उक्त पत्रावली को सुना जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को चलने योग्य नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है। उक्त भूमि कृषि भूमि नही होने से अपीलान्ट वादी का वादपत्र चलने योग्य नही है। जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2016 को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर से खातेदारी घोषणा हेतु वादपत्र लाया गया। वादपत्र पेराफेरी क्षैत्र भूमि से सम्बन्धित होने से निरस्त किया गया जिससे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मोजा पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 571 रकबा 0.64 हैक्टेयर कृषि भूमि की घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन नोटिस जारी किये गये। उक्त सम्मन नोटिस रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के तामील होकर नही लौटे और न ही रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता या प्रतिनिधि उपस्थित हुए। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपरिपक्व पत्रावली को राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। जिससे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1994 पेज 204, 266, आरआरटी 2003 पेज 957, 1027, आरआरटी 2007 पेज 27 आरआरडी 1995 पेज 668, व आरएलडब्ल्यु

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2013 पार्ट-2 पेज 975 इस प्रकरण पर चस्पा होकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 193/2015 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी के प्रावधान अनुसार तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 06.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)